(4)

(4)

(प्रपत्र–2)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक,नागौर –राज0

क्रमांक–शिविना/प्रारं/सा–1/मान्यता/2012–13/ 5730 दिनांक– 23/5/2012

टेगौर पब्लिक स्कूल निम्बीजोधा
पंचायत समिति, लाडनूं।

विशय:– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010 के नियम 15 क उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 28.02.2012 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से,मैं *टेगौर पब्लिक स्कूल निम्बीजोधा पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर को वर्श 2012–13 से वर्ष 2014–2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 06 से 08 तक के लिए अनंतिम मान्यता (माध्यम अंग्रेजी)*प्रदान की संसूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

2. संस्था सत्र 2012–13 में कक्षा–6 तक संचालित करेगी,तत्पश्चात्‌ सत्र 2013–14 व 2014–15 में क्रमशः कक्षा 7 व 8 का संचालन कर सकेगी ।
3. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात्‌ मान्यता/संवर्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है ।
4. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा ।
5. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में),उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहिन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
6. पैरा 3 में निर्दिश्ट बालको के लिए,विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तियॉं प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
7. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा ।
8. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–
   1- प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निश्कासित नही किया जायेगा।
   2- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन से अध्यधीन नही किया जायेगा।

16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है,जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय अधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है । जो मान्यता संबधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमीयों को दूर करने के लिये जारी किये जायें ।
17. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण,यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जावें ।
18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्ते ।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक,नागौर

क्रमांक–सम/2012/
दिनांक–

प्रतिलिपि:–
01. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति, जायल टैगोर पब्लिक स्कूल, निम्बी जोधा (अंग्रेजी)
02. कार्यालय प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक,नागौर

CHAIRMAN
Tagore Education & Research Institute
Nimbi Jodha(Nagaur)

PRINCIPAL
TAGORE PUBLIC SCHOOL
NIMBI JODHA(NAGAUR)RAJ
CBSE AFFILIATION NO 1730767

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नागौर

कार्यालय आदेश

टैगोर पब्लिक स्कूल निम्बी जोधा लाडनू (नागौर) जो कि इस कार्यालय के आदेश शिविरा प्रा.शि/सा–1/मान्यता/2012–13/5730 दिनांक 23.5.12 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। उक्त विधालय इस कार्यालय के क्षेत्राधीन उपरोक्त आदेशानुसार मान्यता प्राप्त विद्यालय है।

–Sd–
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा नागौर

क्रमाकः–शिविरा/प्रा.शि./सामान्य–1/2015–16/2561 दिनांकः– 21/12/15

प्रतिलिपिः–

01. ब्लाक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा लाडनू ।
02. सचिव सी.बी.एस.ई नई दिल्ली ।
03. संबधित सस्था प्रधान ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा नागौर

CHAIRMAN
Tagore Education & Research Institute
Nimbi Jodha(Nagaur)

PRINCIPAL
TAGORE PUBLIC SCHOOL
NIMBI JODHA(NAGAUR)RAJ
CBSE AFFILIATION NO 1730767